कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक— 10/04/2017.

क्रमांक— 1090/186/आउशि/सम्बद्वता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश कमांक – 584/378/आउशि/सम्बद्वता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं।

3. इस कार्यालय द्वारा प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत संस्था का अनापत्ति प्रमाण–पत्र अमान्य करनें संबंधी जारी आदेश कमांक 916/186/आउशि/सम्बद्वता/17 दिनांक 10/04/2017 को निरस्त किया जाता है।

4. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	इण्डो एजुकेशन एण्ड सर्विसेस सोसायटी समिति, ग्राम गडवाडा, जिला– झाबुआ
2	नवीन महाविद्यालय का नाम	आई0पी0एस0 ऐकेडमी, झाबुआ
3	आवेदित नवीन पाठ्यकम	1– बी0काम0–प्लेन अति. विषय– कम्प्यु0 एप्ली0सहित 2– बी0काम0–ऑनर्स 3– बी0एससी0–(गणित, भौतिक, रसायन) अति. विषय– कम्प्युटर सा0, 4– बी0सी0ए0, 5– बी0बी0ए0
4	आदेश कमांक – 584/378 /आउशि/सम्बद्वता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	शैक्षणिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन संबंधी प्रमाण पत्र नही, नगर एवं ग्राम निवेश से स्कूल निर्माण की अनुमति,भवन पूर्णता प्रमाण पत्र एवं भवन निर्माण की अनुमति संरपंच के ठहराव प्रस्ताव के साथ नही, खेल मैदान का स्पष्ट प्रमाण नहीं।
5	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	संस्था द्वारा पूर्वनुसार ही दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। कार्यालयीन आदेश दिनांक 15/03/2017 के परिप्रेक्ष्य में संस्था द्वारा कमियों की पूर्ति नहीं की गई है।

———2.

6	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यकमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यकम	– निरंक –
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यकमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यकम	1– बी0काम0–प्लेन अति. विषय–कम्प्यु0 एप्ली0सहित 2– बी0काम0–ऑनर्स 3– बी0एससी0–(गणित, भौतिक, रसायन) अति. विषय– कम्प्युटर सा0, 4– बी0सी0ए0, 5– बी0बी0ए0

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक–/1091/186/आउशि/सम्बद्वता/17. भोपाल, दिनांक– 10/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।
3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा इन्दौर संभाग, इन्दौर (म0प्र0)।
4– कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर (म0प्र0)।
5– प्राचार्य, संबंधित अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

–––की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.